



पत्रांक : कु0स0-2B स0अ0 / 6045 / 02-803-2023 / 2024

दिनांक : 27 जनवरी, 2024

सेवा में,

प्रबंधक,
प्रस्तावित महादेव महेन्द्र लॉ कालेज,
फेसुड़ा, सैय्यदराजा,
चन्दौली।

विषय: नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की स्थापना हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

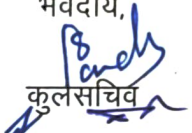
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 06.12.2023 के संदर्भ में सूच्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्रांक-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 27.01.2024 की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार प्रस्तावित महादेव महेन्द्र लॉ कालेज, फेसुड़ा, सैय्यदराजा, चन्दौली को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विधि संकाय में स्नातक स्तर पर एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) की सम्बद्धता प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान की जाती है:-

1. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग सम्बद्धता सम्बन्धी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी, तथा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
3. उक्त विषय/पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश सं0 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेश में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
5. संस्था भविष्य में भूमि भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की होगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी लायबिलिटी (उत्तरदायित्व) से राज्य सरकार/विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
7. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता संस्था द्वारा सम्बद्धता से पूर्व सुनिश्चित की जायेगी।

8. उक्त अनापत्ति महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व जिलाधिकारी द्वारा शासन के पोर्टल पर अपलोड भूमि सत्यापन आख्या के अनुसार ग्राम-फेसुड़ा, परगना-बढ़वल, तहसील-सकलडीहा, जिला-चन्दौली में गाटा सं०-232 रकबा 3.881हे० में से 0.813 हे० भूमि "श्रीमती अन्नपूर्णा देवी फाउन्डेसन ट्रस्ट" के नाम भूमि दर्ज होने पर ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय को (2050 वर्गमीटर) भूमि 30 वर्ष हेतु लीज पर दिये जाने के साक्ष्य निर्गत किया जा रहा है।
9. भविष्य में महाविद्यालय की भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. संस्थान/महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय से समय-समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. अन्य भूखण्ड या स्थान पर संस्था संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
12. महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में एक माह के अन्दर रु० 100/- का फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
13. शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के आलोक में महाविद्यालय को सन्दर्भित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय से यू०जी०सी० अर्हताधारी योग्य प्राचार्य/शिक्षकों का अनुमोदन एवं नियुक्ति न किये जाने की दशा में सम्बद्धता की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जायेगा।

कृपया उरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै०स०, कुलपति - माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा उ० प्र० शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. सम्बंधित पत्रावली।

1
कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-2B स0अ0 / 6327 / 02-869-2024 / 2025

दिनांक : 09

सेवा में,

प्रबंधक,
प्रस्तावित महादेव महेन्द्र लॉ कालेज,
फेसुड़ा, सैय्यदराजा,
चन्दौली।

विषय: नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की स्थापना हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 02.01.2025 के संदर्भ में सूच्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्रांक-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 06.02.2025 की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार प्रस्तावित महादेव महेन्द्र लॉ कालेज, फेसुड़ा, सैय्यदराजा, चन्दौली को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विधि संकाय में स्नातक स्तर पर एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) की सम्बद्धता प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग सम्बद्धता सम्बन्धी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी, तथा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
3. उक्त विषय/पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश सं0 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेश में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
5. संस्था भविष्य में भूमि भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की होगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी लायबिलिटी (उत्तरदायित्व) से राज्य सरकार/विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
7. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता संस्था द्वारा सम्बद्धता से पूर्व सुनिश्चित की जायेगी।

मुख्य दस्तावेज 31.04.2025

श्री मती अन्नापति देवी

1004/02-869-2024/2025

8. उक्त अनापत्ति महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व शासनादेश सं० 1968/सत्तर-2-2024-16(11)/2017 टी०सी० दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में जिलाधिकारी चन्दौली की भूमि सत्यापन आख्या के आधार पर स्नातक स्तर पर विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु निर्गत अनापत्ति एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में प्रस्तुत शपथ पत्र के आलोक में ग्राम-फेसुड़ा, परगना-बढ़वल, तहसील-सकलडीहा, जिला-चन्दौली में गाटा सं०-232 रकबा 3.881 हे० में से 0.813 हे० भूमि "श्रीमती अन्नपूर्णा देवी फाउण्डेशन ट्रस्ट" के नाम के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होने तथा ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय के पक्ष में 30 वर्ष हेतु पट्टे पर दी गयी 2050 वर्गमीटर भूमि के सापेक्ष किया जा रहा है।
9. भविष्य में महाविद्यालय की भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. संस्थान/महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय से समय-समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. अन्य भूखण्ड या स्थान पर संस्था संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
12. महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में एक माह के अन्दर रू० 100/- का फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
13. शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के आलोक में महाविद्यालय को सन्दर्भित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय से यू०जी०सी० अर्हताधारी योग्य प्राचार्य/शिक्षकों का अनुमोदन एवं नियुक्ति किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बद्धता की कार्यवाही पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।

कृपया उरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय कुलपति जी।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. सम्बंधित पत्रावली।

1
कुलसचिव

मुख्य ट्रस्टी 31/12/2024

श्री मती अन्नपूर्णा देवी फाउण्डेशन (ट्रस्ट)

फाउण्डेशन-फेसुड़ा, सकलडीहा, चन्दौली (उ० प्र०)